न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां, R.T.S.

मिसल नं. ::: 216/2021

सरकार बनाम धर्मपाल, मनोज पुत्र गोकल,
जाति–मेघवाल, निवासी– डुलानिया

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 13.01.2022

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान धर्मपाल, मनोज पुत्र गोकुल, जाति–मेघवाल, निवासी–डुलानिया द्वारा रोही मौजा डुलानिया की राजकीय भूमि ख.नं. 632/206 के कुल रकबा 0.20 है0 किस्म बारानी–3 (सिवचायक) में से 0.03 है0 भूमि पर पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल मनोज बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। गैर सायल धर्मपाल ने हाजिर होकर जवाब नोटिस पेश किया अपना अतिक्रमण अस्वीकार किया है तथा स्वयं की भूमि पर मकान लगभग 50 वर्ष पूर्व बनाये जाना जवाब में अंकित किया है। अपने कब्जे के विधिक होने समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत पेश नही किये। जिससे गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नही माना जा सकता है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 9 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील ज़ाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं.......4.........पर
वर्ष 2021-22 में रूपये.....9/-.....कायम कि
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़